

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नया रायपुर - 492002**  
**// आदेश //**

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

क्रमांक एफ 1-67/2017/सत्रह/एक (3) :: राज्य शासन, एतद्वारा निम्नांकित फार्मासिस्ट को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम 4 में दर्शाए गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता हूँ :-

क्र.	आवेदक का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना स्थान	आधार
1	2	3	4	5
1	अनामिका गौर	सामु. स्वा.केन्द्र पिनकापाल जिला बालोद	सीएचसी डौण्डीलोहारा जिला बालोद।	स्वयं के व्यय
2	इन्द्राणी साहू	प्रा स्वा केन्द्र ओडान जिला बलौदाबजार	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय
3	श्री अभिषेक कुमार शुक्ला	सामु.स्वा.केन्द्र साजा, जिला बेमेतरा	सीएचसी पाटन जिला दुर्ग	स्वयं के व्यय
4	श्री रमाकांत तम्बोली	प्राथ.स्वा.केन्द्र कोटमी, जिला बिलासपुर	प्राथ.स्वा.केन्द्र खोंधरा (मस्तुरी) जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
5	राधिका रानी गुप्ता	सी.एच.सी. पेन्डा जिला बिलासपुर	सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
6	श्री रविशंकर मेखले	प्राथ स्वा केन्द्र कोडगार जिला बिलासपुर	सीएचसी तखतपुर जिला बिलासपुर	स्वयं के व्यय
7	श्री राजेन्द्र कुमार पाल	सी.एच.सी. नगरी जिला धमतरी	मुख्य चिकि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी के अधीन रिक्त पद पर।	प्रशासनिक
8	सुषमा ठाकरे	सामु. स्वा. केन्द्र मैनपुर जिला गरियाबंद	प्राथ. स्वा. केन्द्र कोपरा जिला गरियाबंद	प्रशासनिक
9	श्री हरिशंकर साहू	सामु. स्वा. केन्द्र कोटा जिला बिलासपुर	मुख्य चिकि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर में रिक्त स्टोर कीपर फार्मसी के पद के विरुद्ध	प्रशासनिक
10	श्री एस्तर कोमल बहादुर	प्राथ. स्वा. केन्द्र मडेली/सी.एच.सी छुरा जिला गरियाबंद	जिला चिकित्सालय रायपुर	स्वयं के व्यय

- 2/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित होने की स्थिति में एवजीदार के उपस्थित होने पर ही कार्यमुक्त होंगे।
- 3/ यदि उपरोक्त स्थानांतरित अधिकारी या कर्मचारी संविदा अथवा तदर्थ रूप से कार्यरत हो, अथवा नियमित कर्मचारी अधिकारी होने की स्थिति में एक वर्ष से कम पदावधि में स्थानांतरण हो रहा हो, तो इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया जाए, तथा इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

*W. J. J.*

- 4/ संभाग/जिला संवर्ग (कैडर) के शासकीय सेवकों का उनके आवेदन के आधार पर अन्य संभाग/जिला में स्वैच्छिक स्थानांतरण अथवा प्रशासकीय स्थानांतरण होने से उनकी वरिष्ठता प्रभावित होगी। अतः उपरोक्त स्थानांतरित कर्मचारी/अधिकारी यह सुनिश्चित करें की उन्हें उक्त स्थानांतरण स्वीकार है, यदि नहीं तो वे स्थानांतरित स्थल के लिये कार्यमुक्त न हों। कार्यमुक्त होने की स्थिति में यह माना जावेगा कि उन्हें उनकी वरिष्ठता प्रभावित होना मान्य है। नियंत्रणकर्ता/कार्यालय प्रमुख तदानुसार कार्यवाही कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
- 5/ उपरोक्त स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित द्वारा नवीन पदस्थापना स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6/ उपरोक्त स्थानांतरण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2017 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Ujala*  
(एम.एल. ताम्रकार)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2017

पृ0क्रमांक एफ 1- 67/2017/सत्रह/एक (3)  
प्रतिलिपि :-

01. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
02. विशेष सहायक, मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
03. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़।
04. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़।
06. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर।
07. संबंधित जिला कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
08. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छत्तीसगढ़।
09. संबंधित सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, छ.ग.।
10. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी.मंत्रालय, नया रायपुर। कृपया इस आदेश को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
12. संबंधित डॉ०.....

की ओर

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. स्टाक फाईल।

*Ujala*  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग